राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड

# राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण,उत्तराखण्ड

A1,आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून –248013

ई-मेल: ayushmanuttarakhand@gmail.com Phone No: 0135 2609522-23

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत PM-JAY

पत्रांकः : रा0स्वा0प्रा0 / 2020–21 / Hosp.EMP/ /161 दिनांक : 12 मई 2021

प्रेषित,

प्रशासक
वेलमेड हॉस्पिटल
देहरादून, उत्तराखण्ड।

**विषयः प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना / अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना एंव (SGHS) State Government Health Scheme के अर्न्तगत कोविड–19 मरीजों को उपचार न दिये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आप अवगत हैं, कि आपका चिकित्सालय PMJAY/AAUY के अन्तर्गत सूचीबद्ध है। PMJAY/AAUY के अंतगर्त सूचीबद्ध होने के फलस्वरूप चिकित्सालय द्वारा कोविड मरीजो को भी उपचारित किया जाना है। योजना के तहत आयुष्मान कार्ड (PMJAY/AAUY/SGHS) धारक जो कोविड से संक्रमित है को निःशुल्क (कैशलेस) उपचार दिया जाना है, लेकिन संज्ञान में आया है कि आपके चिकित्सालय द्वारा कोविड–19 मरीज जो आयुष्मान कार्ड धारक है का इलाज निःशुल्क न करके उससे उपचार हेतु धनराशि ली जा रही है, जो कि नियम विरूद्ध है। आपके चिकित्सालय के इस कृत्य को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा गंभीरता से लिया गया है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि महामारी के इस दौर में मानवता दिखाते हुये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना / अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना एंव (SGHS) State Government Health Scheme के अर्न्तगत मरीजों को निःशुल्क (कैशलेस) सुविधा प्रदान की जाये, अन्यथा N.H.A. गाईडलाइन के अंतर्गत आपके चिकित्सालय की सूचीबद्धता समाप्त किये जाने के साथ ही दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, एंव चिकित्सालय के क्लीनिकल इस्टैबलिशमैन्ट एक्ट (CEA)/आपदा प्रबधन अधिनियम 2005 व Uttrakhand Epidemic Disease, Covid 19 Regulation 2020, Epidemic Diseases Act 1897 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु समुचित प्राधिकारी (Appropriate Authority) को सूचित किया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अस्पताल प्रबन्धन की होगी।

भवदीय

(डॉ0 ए0 के0 गोयल)
निदेशक–हॉस्पिटल मैनेजमेंट,
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण।

पत्रांक व दिनांक उक्तानुसार

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण।
2- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण।
3- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण उत्तराखण्ड।
4- जिलाधिकारी, जनपद देहरादून उत्तराखण्ड।
5- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद देहरादून।

(डॉ0 ए0 के0 गोयल)
निदेशक–हॉस्पिटल मैनेजमेंट,
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण।